

अध्याय-7

म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1965 में नगर निगम परिषद के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/क्रियांवयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टियां हैं, जिसके अंतर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्षदों) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता है।

1. नगर पालिक निगम परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियांवयन पार्षदों के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है।
2. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत मेयर-इन-काउंसिल के गठन का प्रावधान है।

(क) मेयर-इन-काउंसिल का गठन —

1. प्रत्येक परिषद के लिये एक मेयर-इन-काउंसिल होगी जो धारा 37 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी।
2. मेयर-इन-काउंसिल नगर पालिक निगम परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्यों से मिल कर बनेगी।
3. मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
4. प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि किये जाएँ और मेयर-इन-काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि, अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाये जायेंगे।
5. महापौर मेयर-इन-काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो मेयर-इन-काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। महापौर की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
6. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी मेयर-इन-काउंसिल अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि विहित किया जाए।

(ख) कृत्य —

1. 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 25 लाख से अधिक न हो तक के व्यय की स्वीकृति।
2. अधिनियम 1956 की धारा 57 (1), 61, 62, 71, (1), 137 (1), 138, 142, (1), 176 तथा 189 ए द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग
3. आयुक्त, नगर निगम के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को प्रस्तुत किया जाए।

4. अधिनियम की धारा 57 (1), 61, 62, 71, (1), 137 (1), 138, 142, (1), 176 तथा 189 ए के अन्तर्गत परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने।

4. सदस्य गण —

अ.क्रं.	नाम	वार्ड क्रमांक
1	श्रीमती पिकी संजय दायमा	05
2	श्रीमती रितिका विनय सांगते	02
3	श्री गणेश पटेल	16
4	श्री जितेन्द्र मकवाना	01
5	श्री अजय तौमर	20
6	श्रीमती सपना अजय पंडित	29
7	श्री धमेन्द्रसिंह बैस	40
8	श्री मुस्तफा अंसार एहमद हाथी वाले	07
9	श्री रामदयाल यादव	34
10	श्री शीतल गेहलोत	30

5. कर्तव्य एवं दायित्व — उपरोक्त पैरा 3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यो व कर्तव्यों का सम्पादन।
6. मेयर-इन-काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकारी है।
3. अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियां के माध्यम से विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती है।
4. अधिनियम की धारा 47 के अन्तर्गत परिषद आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण में जांच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामर्शदात्री समिति गठित करने का प्रावधान है।
5. अधिनियम की धारा 48 (क) के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन का उनका परामर्श नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था है।